कार्यालयः– जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद (म.प्र.)

//विविध आदेश//

क्रमांक /सां0लि0/2020 होशंगाबाद,दिनांक 27/07/2020

माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर के साथ दिनांक 25.07.2020 को विडियो कॉन्फ्रेंसिग के माध्यम से सम्पन्न बैठक में प्राप्त निर्देशानुसार जिले में लंबित प्रकरणों की NJDG Portal में दर्शित प्रकरणों की संख्या में पाई जाने वाली भिन्नता को दूर करने के लिये कहा गया है। अतएव मैं चन्द्रेश कुमार खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद समस्त न्यायिक अधिकारीगण को निम्नानुसार आदेशित करता हूँ :–

1– अपने–अपने न्यायालयों में लंबित समस्त सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों का CIS से मिलान करते हुये भौतिक सत्यापन **03 दिवस** में सुनिश्चित करेंगे।

2– यदि कोई भिन्नता पाई जाती है तो उसे तत्काल ही ठीक करा ली जावे एवं मासिक विवरण पत्रक में प्रेषित की जाने वाली जानकारी CIS से आवश्यक रूप से मिलान कर ली जावे।

3– मासिक विवरण पत्रक के साथ CIS से मिलान किये जाने संबंधी प्रमाण पत्र पीठासीन अधिकारी आवश्यक रूप से संलग्न करें।

4– इसके पश्चात भी यदि किसी न्यायालय के द्वारा प्रेषित जानकारी एवं CIS में जानकारी भिन्न पाई जाती है तो संबंधित के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

27.7.20

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
होशंगाबाद

पृ0क्र0 838 /सां.लि./2020 होशंगाबाद, दिनांक 27.07.2020

प्रतिलिपि :–

समस्त न्यायिक अधिकारीगण, जिला होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।

27.7.20

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
होशंगाबाद